



Neutral Citation No. - 2026:AHC:23724-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 80/2026

हर्ष अवाना

.....अपीलार्थी

बनाम

अध्यक्ष यू.जी.सी. बहादुरशाह जफर मार्ग एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी

अपीलार्थी के अधिवक्ता: गोपाल श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: अनुभव सिंह, जगदीश पाठक (स्थायी अधिवक्ता), प्रतीक चंद्रा

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति

1. यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट-सी संख्या 36011/2025 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2025 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा यद्यपि अपीलार्थी के निष्कासन (रस्टीकेशन) को रद्द कर दिया गया था, किंतु कुछ निर्देश दिए गए थे, जिनका पालन न करने को पुनः निष्कासन का आधार बनाया गया था।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्देश संख्या (II) न केवल छात्र के लिए अपमानजनक है, बल्कि यह उसके करियर को स्थायी रूप से प्रभावित करेगा, इसलिए उक्त निर्देशों को रद्द किया जाए।
3. प्रत्यर्थी/विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया। यह तर्क दिया गया कि याचिका स्वयं पोषणीय नहीं थी, हालांकि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्देश पारित किए हैं, जिनमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
4. अपील 57 दिनों से बाधित है।
5. अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु एक आवेदन दायर किया गया है।
6. शपथ पत्र द्वारा समर्थित आवेदन में बताए गए कारणों के आधार पर, उक्त आवेदन को स्वीकार किया जाता है।
7. अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाता है।
8. हमने पक्षों के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।
9. निष्कासन को रद्द करते हुए, यह टिप्पणी करते हुए कि अपीलार्थी के पिता एक गरीब किसान हैं और बड़ी कठिनाई से अपीलार्थी को प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय में पढ़ने की अनुमति दी गई है,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिए गए थे:

"(I) याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय के समक्ष एक नोटरीकृत शपथ पत्र दाखिल करेगा कि वह शेष कक्षाओं में 95% उपस्थिति रखेगा और अनुपस्थिति की स्थिति में उसे अवकाश हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा। वह कक्षा के घंटों के दौरान विश्वविद्यालय परिसर नहीं छोड़ेगा। किसी भी अन्य या नई शिकायत के मामले में, प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय बिना नोटिस जारी किए भी याचिकाकर्ता को निष्कासित करने के लिए स्वतंत्र है।

(II) याचिकाकर्ता इस संदेश के साथ एक तख्ती (प्ले कार्ड) लिए रहेगा कि वह कभी भी किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। याचिकाकर्ता दिनांक 03.11.2025 से शुरू होकर 30 दिनों तक सुबह 08.45 बजे से सुबह 09.15 बजे तक 30 मिनट के लिए उक्त तख्ती लेकर विश्वविद्यालय के गेट पर खड़ा होगा। प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय उक्त कृत्य की तस्वीर खींचेगा। चूक की स्थिति में, प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय याचिकाकर्ता को निष्कासित करने के लिए स्वतंत्र है।

(III) याचिकाकर्ता आज से 72 घंटे के भीतर प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय के समक्ष अपने कृत्य के लिए लिखित क्षमा याचना भी दाखिल करेगा।

(IV) पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे गलगोटिया विश्वविद्यालय और प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय के गेट खुलने और बंद होने के समय कम से कम एंटी-रोमियो मोबाइल स्कॉड तैनात करें।

(V) श्री आई.पी. श्रीवास्तव, विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस आदेश को संबंधित पुलिस अधिकारियों को सूचित करने का निर्देश दिया जाता है।"

10. जबकि पिछले शैक्षणिक वर्षों में 50% उपस्थिति रहने के संबंध में अपीलार्थी के आचरण को देखते हुए निर्देश संख्या (I), (III), (IV) और परिणामी निर्देश संख्या (V) उचित हैं, हमारी यह दृढ़ राय है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्देश संख्या (II) की प्रकृति किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। इस तरह का निर्देश जिसमें अपीलार्थी एक तख्ती लेकर चलेगा जिस पर यह संदेश हो कि वह कभी किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा और 30 दिनों तक 30 मिनट के लिए विश्वविद्यालय के गेट पर तख्ती लेकर खड़ा रहेगा, न केवल अपमानजनक है, बल्कि अपीलार्थी के चरित्र पर एक स्थायी कलंक लगा देगा, जिसकी मामले की परिस्थितियों में आवश्यकता नहीं है।

11. उपरोक्त वस्तुस्थिति को देखते हुए, हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्देश संख्या (II) को रद्द करते हैं।

12. यदि निर्देश संख्या (II) के व्यतिक्रम खंड के कारण अपीलार्थी को पुनः निष्कासित कर दिया गया है, तो उसे निर्देश संख्या (III) के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करने का एक अवसर दिया जाएगा, यदि पहले से नहीं किया गया है। अनुपालन होने पर/यदि पहले से अनुपालन किया जा चुका है, तो निष्कासन रद्द माना जाएगा, और अपीलार्थी ईमानदारी से निर्देश संख्या (I) का पालन करेगा।

13. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, अपील निस्तारित की जाती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

फरवरी 4, 2026

एन.डी.

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"